भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5020
01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नि:शुल्क दी जाने वाली दवाओं की कालाबाजारी

5020. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा आपूरित नि:शुल्क दवाइयों/औषधियों की कालाबाजारी होती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने निजी मेडिकल स्टोरों द्वारा मानव व्यवहार एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (आईबीएचएएस), दिल्ली को निःशुल्क वितरण हेतु आपूरित दवाओं/औषधियों को उच्च दरों पर बेचे जाने पर ध्यान दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा अस्पताल प्रशासन और इसमें शामिल निजी मेडिकल स्टोर के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ड.): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में नि:शुल्क दवाओं की कालाबाजारी की ऐसी परिपाटियों की रोकथाम सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अस्पतालों को आपूर्त की गई नि:शुल्क दवाइयों की कालाबाजारी के ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।
तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि आईबीएचएएस से संबंधित ऐसी रिपोर्ट 2021 में मीडिया में प्रकाशित हुई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 420/120 के तहत दिनांक 11.12.2021 को एफआईआर सं. 414/21 के जरिए पुलिस स्टेशन, जीटीबी एनक्लेव में केस दर्ज किया गया जिसकी एक प्रति एसीपी, जीटीबी एनक्लेव पुलिस स्टेशन, डीसीपी, शाहदरा और डीसीपी (अपराध शाखा), दिल्ली पुलिस मुख्यालय को भेजी गई।

****